डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1 शिवराम, पि0 मांग्या
2 लोहडेराम
3 लोहडीबाई, पुत्रीया मांग्या
4 केशूवाई

जाति मीना
निवासी साकरवाडा
तह0 टोडाभीम
जिला गंगापुर सिटी राज0

वादीगण

बनाम

1. किशन्या पुत्र मांग्या
2. हंसा पुत्र मांग्या
3. बनवारी पुत्र रामधन
4. जतीराम पुत्र रामधन
5. मु0 केसो पुत्री रामधन
6. मु0 छोटा पुत्री रामधन

समस्त जाति मीना,
निवासी मण्डेरु
तह0 टोडाभीम
जिला गंगापुर सिटी राज0

7. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक टोडाभीम जरिए मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक टोडाभीम तह0 टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी राज0
8. तहसीलदार तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:– 41 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट एवं हमारे मिनजानिब ..... मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

आराजी ख0नं0 712 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 725 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 761 रकबा 0.22 है0 कुल किता 4 कुल रकवा

प्रतिलिपि
अधिकारी
सहा कलक्टर
जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

0.35 है0 ग्राम मण्डेरु तह0 टोडाभीम में दर्ज खातेदार प्रतिवादी नं0 1 व 2, 3ता 6 के पिता रामधन, प्रतिवादी नं0 1 व 2 की माता झूती पत्नि मांग्या एवं बहिन धौली पुत्री मांग्या का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है पर्चा डिकी जारी हो।

निज......................मुबलिंग............................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29/08/25 को जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
सत्यमेव जयते
टोडाभीम, जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्या. उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

कोर्ट फी INDIA COURT FEE दो रुपये TWO RUPEES भारत

कोर्ट फी INDIA COURT FEE दो रुपये TWO RUPEES भारत

नाम आवेदक सुरेशचन्द शर्मा
प्रा० पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 15/9/25
नकल तैयार होने का दिनांक 18/9/25
नकल देने का दिनांक 18/9/25
स्टाम्प 4.00

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

मु.नं.:– 41/2024

तारीख रजू :– 01.05.2024

पीठासीन अधिकारी :– पूजा मीना आर.ए.एस.

1 शिवराम, पि0 मांग्या
2 लोहडेराम
3 लोहडीबाई, पुत्रीया मांग्या
4 केशूवाई

जाति मीना
निवासी साकरवाडा
तह0 टोडाभीम
जिला गंगापुर सिटी राज0

वादीगण

ब्नाम

1. किशन्या पुत्र मांग्या
2. हंसा पुत्र मांग्या
3. बनवारी पुत्र रामधन
4. जतीराम पुत्र रामधन
5. मु0 केसो पुत्री रामधन
6. मु0 छोटा पुत्री रामधन

समस्त जाति मीना,
निवासी मण्डेरु
तह0 टोडाभीम
जिला गंगापुर सिटी राज0

7. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक टोडाभीम जरिए मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक टोडाभीम तह0 टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी राज0
8. तहसीलदार तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरारहक

एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 अभिभाषक वादी :– सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

2 अभिभाषक प्रतिवादीगण की ओर – कोई उपस्थित नही

निर्णय

दिनांक–29/08/25

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 712 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 725 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 761 रकबा 0.22 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 0.35 है0 ग्राम मण्डेरु तह0 टोडाभीम में

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्या. उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

स्थित है। उक्त आराजी रेवन्यू रिकार्ड में प्रतिवादी 1 ता 2 तथा प्रतिवादी नं0 3 ता 6 के पिता रामधन तथा मृतक धोली व मृतक झूती के नाम दर्ज रेवेन्यू रिकोर्ड में दर्ज है आराजीयात ख0नं0 712 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 725 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 761 रकबा 0.22 है0 सैटिलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा दौराने सैटिलमेंन्ट साबिक ख0नं0 549 रकवा 17 विस्वा व 582/509 रकवा 10 विस्वा से बनाकर अंकित किया है। उक्त साबिक ख0नं0 549 रकवा 17 विस्वा व 582/509 रकवा 10 विस्वा वादीगण के पिता मांग्या पुत्र रामचंद मीना की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी जो जमाबन्दी सम्वत् 2035–2038 से भली प्रकार साबिक है।

वादीगण के पिता मांग्या पुत्र रामचंद थे जबकि प्रतिवादीगण के बुजुर्ग मांग्या पुत्र हरचंद था लेकिन रेवेन्यू कर्मचारियो पटवारी हल्का द्वारा वादीगण के पिता की आराजी जो जमाबन्दी सम्वत् 2035–2038 में ग्राम मण्डेरु में वादीगण ख0नं0 549 रकवा 17 विस्वा व 582/509 रकवा 10 विस्वा में वादीगण के पिता मांग्या पुत्र रामचंद के नाम थी मांग्या पुत्र हंरचंद की विरासत खोलते समय वादीगण के पिता मांग्या पुत्र रामचंद के स्थान पर मांग्या पुत्र हरचंद करके प्रतिवादीगण के नाम विरासत का नामान्तरकरण संख्या 333 दिनांक 23.01.1983 को खोल कर खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम कर दी है जो बिल्कुल गलत की है उक्त आराजी वादीगण के पिता के नाम ही रही है तथा उक्त आराजी पर वादीगण हमेशा अपने पिता के जमाने से काबिज चले आ रहे है। तथा आज भी काबिज है। मगर रेवेन्यू कर्मचारियो द्वारा बिना किसी अधिकार के बिना न्यायालय के किसी आदेश के वादीगण के कब्जे व साबिक खातेदारी की भूमि का नामांतरकरण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज के करके खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम कर दी है। जो बमुकाबले वादीगण वोइड व प्रभावहीन है तथा वादीगण उक्त आराजी को अपने नाम कराने के मुस्तहक है। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नही है क्योकि वादीगण साबिक ख0नं0 549 रकवा 17 विस्वा व

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्यालय जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

582 / 509 रकबा 10 बिस्वा जिनके नवीन ख0नं0 712 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 725 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 761 रकबा 0.22 है0 पर जमाने पिता के काबिज है। तथा जहॉ पहले वे काबिज थे आज भी वही काबिज है। मगर राजस्व कर्मचारियो की गलती से वादीगण के पिता की खातेदारी के स्थान पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी है। जिसे वादीगण अपने नाम कराने के वादीगण मुस्तहक है। आराजी विवादग्रस्त ख0नं0 ख0नं0 712 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 725 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 761 रकबा 0.22 है0 से प्रतिवादीगण 1 ता 5 का कोई संबंध कभी भी किसी भी प्रकार का आज दिन तक नही रहा है। लेकिन प्रतिवादी नं0 1 ता 5 महत्वाकांशी व्यक्ति है। जो वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने तथा रहन वय करने पर उतारू है।

बाका दिनांक 5:03:2024 को सुबह करीब 9 बजे का है कि वादीगण अपनी आराजी में खडी फसल की देख भाल कर रहा था कि प्रतिवादी नं0 1 ता 5 एकराय होकर आ गये तथा कहने लगे कि तुम्हारी इस खेत में आने की हिम्मत कैसे हुई। इस खेत हमने हमारे नाम करा लिया है। इस आराजी की फसल को हम दरोह करेगे इस पर वादीगण द्वारा उन्हे समझाया कि भाईयो तुम्हारा इस आराजी से कोई संबंध नही रहा है। उक्त आराजी हमेशा से हमारी थी तथा आज भी है। इस पर प्रतिवादी नं0 1 ता 5 द्वारा यह कहने पर उक्त भूमि जहॉ वादीगण काबिज है वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से खातेदारी कराने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने खातेदारी कराने से साफ इन्कार कर दिया इसलिये दावा पेश करना लाजमी हुआ है इसलिए हमारा दावा डिकी कर आराजी ख0नं0 712 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 725 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 761 रकबा 0.22 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 0:35 है0 ग्राम मण्डेरु तह0 टोडाभीम में से प्रतिवादीगण 1 ता 5 का नाम हजफ फरमाकर हमारे नाम खातेदारी की जावे तथा प्रतिवादीगण को पावंन्द फरमाया जावे कि

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्या. उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वे हमारे कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 712 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 725 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 761 रकबा 0.22 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 0.35 मजाहमत मदाखलत नही करे, हमको बेदखल नही करे स्वयं कब्जा नही करे, आराजी को रहन व्यय नही करे, आराजी को खुर्द बुर्द नही करे, आराजी को नाकाबिल काश्त नही बनावे, मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट तलब की गई।

मैने अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो दोहराते हुए वाद पत्र निवेदन किया कि आराजी विवादग्रस्त पूर्व में हमारे पिता मांग्या पुत्र रामचंद के नाम थी मांग्या पुत्र हंरचंद की विरासत खोलते समय हमारे पिता मांग्या पुत्र रामचंद के स्थान पर मांग्या पुत्र हरचंद करके प्रतिवादीगण के नाम विरासत का नामान्तरकरण संख्या 333 दिनांक 23.01.1983 को खोल कर हमारे पिता की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम कर दी है जिसे हमारे नाम किया जावे मौके कब्जे का काई विवाद नही है जमीन हमारे कब्जे में है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट से भी हमारे कब्जे तथा पूर्व में हमारे पिता के नाम खातेदारी साबित है इसलिए हमारा दावा डिक्री किया जावे।

मैने अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया। जिसमें वादीगण के पिता मांग्या पुत्र रामचंद थे तथा प्रतिवादीगण के बुजुर्ग मांग्या पुत्र हरचंद थे जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमावंदी से सावित होता है लेकिन नामान्तरकरण खोलते समय वादीगण के पिता की आराजी को

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्या. उपजिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

मांग्या पुत्र रामचंद के स्थान पर मांग्या पुत्र हरचंद अंकित कर दिया है जो तहसीलदार की रिपोर्ट से भी भली भाति साबित है इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

आराजी ख0नं0 712 रकबा 0.02 है0 ख0नं0 722 रकबा 0.05 है0 ख0नं0 725 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 761 रकबा 0.22 है0 कुल किता 4 कुल रकवा 0.35 है0 ग्राम मण्डेरु तह0 टोडाभीम में दर्ज खातेदार प्रतिवादी नं0 1 व 2, 3ता 6 के पिता रामधन, प्रतिवादी नं0 1 व 2 की माता झूती पत्नि मांग्या एवं बहिन धौली पुत्री मांग्या का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/08/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
कार्या. उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली